

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24-3-17

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹ 70,27,511/- (कुल सत्तर लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ ग्यारह रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-09.03.2017 की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-837 दिनांक-23.03.2017 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी०जी०सेट/कैप्टिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

क्र०	ईकाई का नाम/ पता	अनुदान की राशि
1	सर्वश्री सुमित कुमार संदीप कुमार, अहिरौली रोड, बक्सर	₹ 5,88,455 /-
2.	सर्वश्री होटल सवेरा (ए यूनिट ऑफ एस०एस० इन्टरप्राइजेज), सिएट कम्पाउण्ड, एकजीबिशन रोड, पटना	₹ 4,68,113 /-
3.	सर्वश्री श्री राम जानकी मिल, तियारा, राजपुर, बक्सर	₹ 4,38,281 /-
4.	मेसर्स बालाजी फूड विभरेजेज, जेतुली, कच्ची दरगाह, पटना	₹ 3,53,250 /-
5.	सर्वश्री जी०बी०एम० नेटवर्क एशिया प्राईवेट लिमिटेड, ई०पी०आई०पी०, हाजीपुर	₹ 10,26,499 /-
6.	सर्वश्री गौरव राईस मिल एण्ड फूड प्रोसेसिंग प्रा० लिमिटेड, मझौली, सराय, हाजीपुर	₹ 22,50,414 /-
7.	सर्वश्री तक्षशिला रिजेंसी प्रा० लि०, एम०जी० रोड, कचहरी चौक, जगदीशपुर, भागलपुर	₹ 6,50,000 /-
8.	सर्वश्री रिद्धि-सिद्धि एग्री प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग, बेतिया	₹ 5,45,500 /-
9.	मेसर्स अंश स्टील इण्डस्ट्रीज, चैनपुर, मित्तनचक, गोपालपुर, पटनासिटी, पटना	₹ 3,21,999 /-
10.	मेसर्स सृजन मेटेरियल्स एण्ड इंजिनियरिंग प्रा० लि०, बिहटा, पटना	₹ 3,85,000 /-
	कुल	₹ 70,27,511 /-
(कुल सत्तर लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ ग्यारह रूपए मात्र)		


(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए राक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

2. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या-2492, दिनांक-11.07.2016 एवं आवंटनादेश संख्या-41/आ10 दिनांक-19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का भुगतान संबंधित ईकाइयों को डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-892..... पटना, दिनांक 24.3.17
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर ईकाई के नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-892..... पटना, दिनांक 24.3.17
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित ईकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना